महत्वपूर्ण/समयबद्ध

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या /बा0वि0परि0/योजना/2016–17, दिनांक : 04 जुलाई, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रदेश में ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु तथा 06 माह से 06 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना–फीडिंग कार्यकम के अन्तर्गत बैंक में खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना–फीडिंग कार्यकम के संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1884/60–2–16–2/3(1)/12टी0 सी0–।। दिनॉक 17.06.2016 तथा 06 माह से 06 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों हेतु हौसला पोषण योजना–फीडिंग कार्यकम के संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1885/60–2–16–2/3(1)/12टी0सी0–।। दिनॉक 17.06.2016 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये। उक्त शासनादेशों के प्रस्तर–3.3(2) के अन्तर्गत कार्यकम के संचालन हेतु प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र हेतु सी0बी0एस0 बैंक (कोर बैंकिग सिस्टम) ब्रान्च में एक बचत खाता खोला जायेगा जिसका संचालन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। दिनांक 28.06.2016 की मासिक समीक्षा बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी थी एवं समस्त जिला कार्यकम अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था कि अधिकांश खाते खुल चुके है और अधिकतम् एक सप्ताह के अन्दर अवशेष खाते खुल जायेगें।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद की परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं ग्राम प्रधान का संयुक्त बैंक खाता खोले जाने की सूचना निम्न् प्रारूप पर ई–मेल आई0डी0 **yojanaicds@gmail.com** पर **दिनांक 05.07.2016** तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

जनपद का नाम :– दिनांक :– 05.07.2016 तक की प्रगति

क्रम सं0	परियोजना का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या	ग्राम प्रधान एवं आंगनवाडी कार्यकत्री के साथ खोले गये कुल खातों की संख्या	अवशेष खोले जाने वाले खातों की संख्या
1	2	3	4	5
1				
2				
	कुल योग :–			

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या 2487–90 /तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

D:\nitin\snd AD(f) 25.06.2016\demand snd Child.docx